

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू. अभिलेख अधिकारी, शाहपुरा  
(जिला-भीलवाड़ा) राज0

पीठसीन अधिकारी : सुनील कुमार मीणा, आर0ए0एस0  
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 47/2025  
जी0सी0एम0एस0 संख्या : 2025/61

मूलचंद पिता लक्ष्मण जाट निवासी अमरपुरा-मदनपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा  
-प्रार्थी

बनाम

- 1- लक्ष्मण पुत्र सोनाथ जाट निवासी अमरपुरा-मदनपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 2- रंगलाल पुत्र भैरू जाट निवासी अमरपुरा-मदनपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 3- भगवानदास पुत्र मांगीलाल दास वैष्णव निवासी अमरपुरा-मदनपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 4- सांवरा पुत्र लादु खारोल निवासी अमरपुरा-मदनपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 5- रामकरण पुत्र देबी बलाई निवासी अमरपुरा-मदनपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 6- मुलचंद पुत्र मोडा खारोल निवासी अमरपुरा-मदनपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 7- उदय लाल पुत्र सोनाथ जाट निवासी अमरपुरा-मदनपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 8- सुरजकरण पुत्र बालु जाट निवासी अमरपुरा-मदनपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 9- नरेश पुत्र महावीर वैष्णव निवासी अमरपुरा-मदनपुरा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
- 10- तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

-विपक्षीगण

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू : 04-06-2025


उपस्थित :-

1. श्री विरेन्द्र पत्रिया : अधिवक्ता प्रार्थी

::- निर्णय -::

दिनांक : 12-08-2025

वकील मय प्रार्थी ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत विरुद्ध विपक्षीगण इस आशय का पेश किया कि ग्राम अमरपुरा-मदनपुरा प0ह0 मिण्डोलिया भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 123 रकबा 0.20 है0, 68 रकबा 0.01 है0, 69 रकबा 0.36 है0, 70 रकबा 0.16 है0, 70/1545 रकबा 0.03 है0, 769 रकबा 0.38 है0, 770 रकबा 0.67 है0, 866/1620 रकबा 0.36 है0, 880 रकबा 0.06 है0, 881 रकबा 0.45 है0, 882 रकबा 0.66 है0, 885/1756 रकबा 0.05 है0, 886 रकबा 0.65 है0, 887/1619 रकबा 0.10 है0, 890 रकबा 0.08 है0, 726/1665 रकबा 0.06 है0, 727 रकबा 0.22 है0, 728 रकबा 0.54 है0, 729 रकबा 0.43 है0 कुल किता 19 रकबा 5.47 है0 कृषि भूमि प्रार्थी की खातेदार की स्थित है। उक्त वर्णित आराजियात की चारों दिशाओं के विपक्षीगण पड़ौसी है जो आये दिन फसल काश्त करते समय व फसल काटते समय एवं मेड़ों की घास काटते समय मौके पर सीमा को लेकर विवाद करते है। प्रार्थी दिनांक 05.03.2025 को अपनी आराजी पर गया तो विपक्षीगण द्वारा सीमा को लेकर विवाद किया गया। इस प्रकार प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य कृषि भूमि की सीमा का विवाद है। इसलिए प्रार्थी की उक्त वर्णित खातेदारी की भूमि का सीमाज्ञान कर नापचौप कर पत्थरगढी कर करवाये जाने बाबत श्रीमानजी के समक्ष सादर पेश है। अतः ग्राम अमरपुरा-मदनपुरा प0ह0 मिण्डोलिया भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा की उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि किता

  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा(राज.)

19 रकबा 5.47 है0 की चारों सीमाओं की पुख्ता जानकारी करते हुए चारों सीमाओं पर पुख्ता निशानात पत्थर लगाये जाकर पत्थरगढी कराये जाने हेतु न्यायहित में आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर किया गया। विपक्षीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 से 5, 7 से 10 बावजूद सम्मन सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी तथा विपक्षीगण सं. 6 के विरुद्ध अभिभाषक प्रार्थी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चाहने से उनके विरुद्ध कार्यवाही झोप की गयी।

आज दिनांक 12-08-2025 को अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली और उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहन अवलोकन करते हुए संगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया, जमाबंदी संवत् 2073 से 2076 ग्राम अमरपुरा-मदनपुरा प0ह0 मिण्डोलिया भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी वादगस्त आराजी खसरा नम्बर 123 रकबा 0.20 है0, 68 रकबा 0.01 है0, 69 रकबा 0.36 है0, 70 रकबा 0.16 है0, 70/1545 रकबा 0.03 है0, 769 रकबा 0.38 है0, 770 रकबा 0.67 है0, 866/1620 रकबा 0.36 है0, 880 रकबा 0.06 है0, 881 रकबा 0.45 है0, 882 रकबा 0.66 है0, 885/1756 रकबा 0.05 है0, 886 रकबा 0.65 है0, 887/1619 रकबा 0.10 है0, 890 रकबा 0.08 है0, 726/1665 रकबा 0.06 है0, 727 रकबा 0.22 है0, 728 रकबा 0.54 है0, 729 रकबा 0.43 है0 कुल किता 19 रकबा 5.47 है0 का अभिलिखित खातेदार है। प्रत्येक खातेदार का यह अधिकार है कि उसे अपनी खातेदारी आराजी की सीमाओं का ज्ञान हो, व इस हेतु सीमांकन करवा सके एवं सीमाओं का सीमाचिन्ह लगवा सके ताकि वह अपने खातेदारी अधिकारों का स्वतंत्रता से उपभोग एवं उपयोग कर सके। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार शाहपुरा को प्रार्थी की खातेदारी की उक्त वर्णित आराजियात का समयानुसार सीमाज्ञान करवाते हुए प्रार्थी के खर्चे पर प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी करवाने का निर्देश प्रदान करना विधिसंगत एवं उचित समझती हूँ।

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 भलिभाति साबित होने एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है तहसीलदार, शाहपुरा को निर्देश प्रदान किए जाते हैं कि वे धारा 111 एवं 128 राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 के प्रावधानों का अनुपालन करते हुए प्रार्थी की खातेदार आराजी ग्राम अमरपुरा-मदनपुरा प0ह0 मिण्डोलिया भू0अ0निरीक्षक मिण्डोलिया तहसील शाहपुरा की सीमा में खसरा नम्बर 123 रकबा 0.20 है0, 68 रकबा 0.01 है0, 69 रकबा 0.36 है0, 70 रकबा 0.16 है0, 70/1545 रकबा 0.03 है0, 769 रकबा 0.38 है0, 770 रकबा 0.67 है0, 866/1620 रकबा 0.36 है0, 880 रकबा 0.06 है0, 881 रकबा 0.45 है0, 882 रकबा 0.66 है0, 885/1756 रकबा 0.05 है0, 886 रकबा 0.65 है0, 887/1619 रकबा 0.10 है0, 890 रकबा 0.08 है0, 726/1665 रकबा 0.06 है0, 727 रकबा 0.22 है0, 728 रकबा 0.54 है0, 729 रकबा 0.43 है0 एवं इससे लगती विपक्षीगण की आराजी का मौके पर माप करवाते हुए सीमांकन करे तथा प्रार्थी की आराजी का प्रार्थी के व्यय पर मौके पर पत्थरगढी करवाए/वक्त कार्यवाही उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार उभयपक्षकारान मौके पर उपस्थित रहे। तहसीलदार, शाहपुरा को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 12-08-2025 को सरे इजलास सुनाया गया



(सुनील कुमार मीणा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला शाहपुरा

प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनील कुमार मीणा)  
सहायक कलेक्टर एवं  
पदेन उपखण्ड अधिकारी  
शाहपुरा जिला शाहपुरा